



## उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर—थानो रोड, नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून।

वेबसाइट—[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in)

E- mail: [chayanavog@gmail.com](mailto:chayanavog@gmail.com)

फोन न० 0135—2669658

फैक्स न० 0135—2672902

विज्ञापन संख्या: 28/उ0अ0से0च0आ0/2020

दिनांक: 13 अक्टूबर 2020

### चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड (गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल) में समूह 'ग' के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

**नोट:—रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	13.10.2020
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	19.10.2020
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	04.12.2020
परीक्षा शुल्क <b>Net Banking/Debit Card</b> द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	06.12.2020
लिखित परीक्षा की सम्भावित तिथि	माह अप्रैल 2021

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड (गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल) में सहायक अध्यापक एल0टी0 के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 04.12.2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग-अलग हैं। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग विषयों के भी *check* लगाये गये हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनो को कम किया जा सके। साथ ही इसे आवेदकों के लिए भी सुगम बनाया गया है। ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने पूर्व में *OTR profile* के रूप में *data* भरा है, तब भी उन्हें यह आवेदन पत्र नये सिरे से भरना होगा। इसके साथ ही फोटो व हस्ताक्षर तथा अन्य *data* भी नये सिरे से भरना/अपलोड करना होगा। आवेदन भरने में सहायता के लिए **Toll free no. 6399990138/139/140/141** पर संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की *Offline* अथवा *Online* परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर *SMS* तथा ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

**\* अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभाँति अवश्य पढ़ लें।**

1. (a)(I) सहायक अध्यापक [गढवाल मण्डलान्तर्गत 60 प्रतिशत सीधी भर्ती (सामान्य शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO	Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	481/3511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	19	06	01	01	01	10
			अ0ज0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0पि0व0	13	04	01	—	01	07
			आ0क0व0	10	03	—	—	—	07
			सामान्य	52	16	03	01	02	30
			दिव्यांग	04	दृष्टिबाधित-02, चलन-02				04
			<b>योग</b>	<b>102</b>	<b>30</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>61</b>
2.	481/3011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	16	05	01	—	01	09
			अ0ज0जा0	03	01	—	—	—	02
			अ0पि0व0	12	04	01	—	01	06
			आ0क0व0	08	02	—	—	—	06
			सामान्य	43	13	02	01	02	25
			दिव्यांग	03	दृष्टिबाधित-02, चलन-01				03
			<b>योग</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>51</b>
3.	481/6511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	03	01	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	07	02	—	—	—	05
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	—	—	—	<b>09</b>
4.	481/4511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	15	04	01	—	01	09
			अ0ज0जा0	03	01	—	—	—	02
			अ0पि0व0	10	03	—	—	—	07
			आ0क0व0	07	02	—	—	—	05
			सामान्य	38	11	02	01	02	22
			दिव्यांग	03	श्रवणह्रास-02, चलन-01				03
			<b>योग</b>	<b>76</b>	<b>21</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>48</b>
5.	481/7011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	18	05	—	—	—	13
			अ0ज0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0पि0व0	12	03	—	—	—	09
			आ0क0व0	08	02	—	—	—	06
			सामान्य	48	14	02	—	02	30
			दिव्यांग	08	श्रवणह्रास-05, चलन-03				08
			<b>योग</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	—	<b>02</b>	<b>69</b>
6.	481/7511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (सामान्य)	अ0जा0	06	02	—	—	—	04
			अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	01

			अ0पि0व0	03	01	—	—	—	02
			आ0क0व0	02	—	—	—	—	02
			सामान्य	14	04	01	—	01	08
			दिव्यांग	01	दृष्टिबाधित-01				01
			<b>योग</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>—</b>	<b>01</b>	<b>18</b>
7.	481/2511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ0जा0	19	06	01	01	01	10
			अ0ज0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0पि0व0	13	04	01	—	01	07
			आ0क0व0	10	03	—	—	—	07
			सामान्य	51	15	03	01	02	30
			दिव्यांग	04	श्रवणह्रास-02, चलन-02				04
			<b>योग</b>	<b>101</b>	<b>29</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>61</b>
8.	481/6011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (ब्यायाम)	अ0जा0	10	03	—	—	—	07
			अ0ज0जा0	02	—	—	—	—	02
			अ0पि0व0	06	01	—	—	—	05
			आ0क0व0	04	01	—	—	—	03
			सामान्य	26	07	01	—	01	17
			दिव्यांग	03	श्रवणह्रास-02, चलन-01				03
			<b>योग</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>—</b>	<b>01</b>	<b>37</b>
9.	481/4011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (गृह विज्ञान)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	02	—	—	—	—	02
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>03</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>03</b>
10.	481/1511/416/--/2020	सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	अ0जा0	02	—	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	06	02	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>07</b>
11.	481/5011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (संगीत)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>01</b>
12.	481/8011/416/--/2020	सहायक अध्यापक (उर्दू)	अ0जा0	02	—	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—

			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	01
			दिव्यांग	—					—
			<b>योग</b>	<b>03</b>	—	—	—	—	<b>03</b>
			<b>कुल योग—</b>	<b>567</b>	<b>153</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>368</b>

(II) सहायक अध्यापिका [गढवाल मण्डलान्तर्गत 60 प्रतिशत सीधी भर्ती (महिला शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	पदनाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	481/3521/416/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	03	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—		—	
			<b>योग</b>	<b>04</b>	—	—	—	<b>04</b>
2.	481/3021/416/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	03	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—		—	
			<b>योग</b>	<b>04</b>	—	—	—	<b>04</b>
3.	481/6521/416/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	—	—	—	—	
			दिव्यांग	—	—		—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
4.	481/4521/416/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	02	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	06	01	—	—	05
			दिव्यांग	—	—		—	
			<b>योग</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	—	—	<b>08</b>
5.	481/7021/416/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	

			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	03	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>04</b>	—	—		<b>04</b>
6.	481/7521/416/--/2020	सहायक अध्यापक (सामान्य)	अ०जा०	01	—	—	—	01
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	03	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>04</b>	—	—		<b>04</b>
7.	481/2521/416/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ०जा०	01	—	—	—	01
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>05</b>	—	—		<b>05</b>
8.	481/6021/416/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ०जा०	02	—	—	—	02
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>06</b>	—	—		<b>06</b>
9	481/4021/416/--/2020	सहायक अध्यापक (गृह विज्ञान)	अ०जा०	02	—	—	—	02
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>06</b>	—	—		<b>06</b>
10	481/8021/416/--/2020	सहायक अध्यापक (उर्दू)	अ०जा०	01	—	—	—	01
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—
			आ०क०व०	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—			—
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
<b>कुल योग—</b>			<b>44</b>	<b>01</b>	—	—	<b>43</b>	

(III) सहायक अध्यापक [गढ़वाल मण्डलान्तर्गत 10 प्रतिशत सीधी भर्ती (सामान्य शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO	Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	481/3512/416/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	08	02	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—			—	
			<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>11</b>
2.	481/3012/416/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	06	01	—	—	—	05
			दिव्यांग	—	—			—	
			<b>योग</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>10</b>
3.	481/6512/416/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—			—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>
4.	481/4512/416/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—			—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>
5.	481/7012/416/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	02	—	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	06	01	—	—	—	05
			दिव्यांग	01	श्रवणह्रास-01			01	
			<b>योग</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>10</b>
6.	481/7512/416/--/2020	सहायक अध्यापक	अ0जा0	01	—	—	—	—	01

		(सामान्य)	अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	03	—	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>04</b>	—	—	—	—	<b>04</b>
7.	481/2512/416/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>04</b>
8.	481/6012/416/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>08</b>
9	481/1512/416/--/2020	सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>
10	481/8012/416/--/2020	सहायक अध्यापक (उर्दू)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	—	—	—	—	—	—
			दिव्यांग	—	—				—
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>
<b>कुल योग—</b>				<b>59</b>	<b>08</b>	—	—	—	<b>51</b>

(IV) सहायक अध्यापिका [गढवाल मण्डलान्तर्गत 10 प्रतिशत सीधी भर्ती (महिला शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	481/3522/416/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	—	—	—	—	
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
2.	481/7022/416/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	—	—	—	—	
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
<b>कुल योग-</b>				<b>02</b>	—	—	—	<b>02</b>

(b)(I) सहायक अध्यापक [कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत 60 प्रतिशत सीधी भर्ती (सामान्य शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO	Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	481/3511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	24	07	01	—	01	15
			अ0ज0जा0	05	01	—	—	—	04
			अ0पि0व0	17	05	—	—	—	12
			आ0क0व0	12	03	—	—	—	09
			सामान्य	67	20	03	01	03	40
			दिव्यांग	05	दृष्टिबाधित-04, चलन-01			05	
			<b>योग</b>	<b>130</b>	<b>36</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>85</b>
2	481/3011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	15	04	—	—	—	11
			अ0ज0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0पि0व0	10	03	—	—	—	07
			आ0क0व0	07	02	—	—	—	05
			सामान्य	39	11	02	—	01	25
			दिव्यांग	03	दृष्टिबाधित-02, चलन-01			03	
			<b>योग</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	—	<b>01</b>	<b>54</b>



3.	481/4511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	18	05	--	--	--	13
			अ0ज0जा0	03	--	--	--	--	03
			अ0पि0व0	13	03	--	--	--	10
			आ0क0व0	09	02	--	--	--	07
			सामान्य	48	14	02	--	02	30
			दिव्यांग	03	बधिर-02, चलन-01				03
			<b>योग</b>	<b>94</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>--</b>	<b>02</b>	<b>66</b>
4.	481/7011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	19	05	--	--	--	14
			अ0ज0जा0	04	01	--	--	--	03
			अ0पि0व0	13	03	--	--	--	10
			आ0क0व0	09	02	--	--	--	07
			सामान्य	51	15	02	01	02	31
			दिव्यांग	06	बधिर-03, चलन-03				06
			<b>योग</b>	<b>102</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>71</b>
5.	481/2511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ0जा0	23	06	01	--	01	15
			अ0ज0जा0	04	01	--	--	--	03
			अ0पि0व0	16	04	--	--	--	12
			आ0क0व0	11	03	--	--	--	08
			सामान्य	63	18	03	01	03	38
			दिव्यांग	04	बधिर-02, चलन-02				04
			<b>योग</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>80</b>
6.	481/6011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ0जा0	09	02	--	--	--	07
			अ0ज0जा0	01	--	--	--	--	01
			अ0पि0व0	06	01	--	--	--	05
			आ0क0व0	04	01	--	--	--	03
			सामान्य	22	06	01	--	01	14
			दिव्यांग	02	बधिर-02				02
			<b>योग</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>--</b>	<b>01</b>	<b>32</b>
7.	481/6511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	03	--	--	--	--	03
			अ0ज0जा0	--	--	--	--	--	--
			अ0पि0व0	01	--	--	--	--	01
			आ0क0व0	01	--	--	--	--	01
			सामान्य	08	02	--	--	--	06
			दिव्यांग	--	--				--
			<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11</b>
8.	481/5011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संगीत)	अ0जा0	--	--	--	--	--	--
			अ0ज0जा0	--	--	--	--	--	--
			अ0पि0व0	--	--	--	--	--	--
			आ0क0व0	--	--	--	--	--	--
			सामान्य	01	--	--	--	--	01
			दिव्यांग	--	--				--
			<b>योग</b>	<b>01</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>01</b>

9	481/8011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (उर्दू)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—				—
<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>			
10	481/1511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	02	—	—	—	—	02
			दिव्यांग	—	—				—
<b>योग</b>	<b>03</b>	—	—	—	—	<b>03</b>			
11	481/5511/418/--/2020	सहायक अध्यापक (पंजाबी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—				—
<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>			
12	481/1011/418/--/2020	सहायक अध्यापक (बंगला)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—				—
<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	—	<b>01</b>			
<b>कुल योग—</b>			<b>588</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>03</b>	<b>14</b>	<b>406</b>	

(II) सहायक अध्यापिका [कुमारुँ मण्डलान्तर्गत 60 प्रतिशत सीधी भर्ती (महिला शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	481/3521/418/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	03	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	01
			सामान्य	06	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—		—	
<b>योग</b>	<b>11</b>	—	—	—	<b>11</b>			

2	481/3021/418/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>05</b>	—	—	—	<b>05</b>
3	481/4521/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	02	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	01
			सामान्य	06	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>10</b>	—	—	—	<b>10</b>
4	481/7021/418/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	03	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	01
			सामान्य	06	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>11</b>	—	—	—	<b>11</b>
5	481/7521/418/--/2020	सहायक अध्यापक (सामान्य)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>02</b>
6	481/2521/418/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>05</b>	—	—	—	<b>05</b>
7	481/6021/418/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ0जा0	02	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	03	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>05</b>	—	—	—	<b>05</b>

8.	481/6521/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	—	—	—	04
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>05</b>	—	—	—	<b>05</b>
9	481/5021/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संगीत)	अ0जा0	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
10	481/4021/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गृह विज्ञान)	अ0जा0	02	—	—	—	02
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	01
			सामान्य	06	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>10</b>	—	—	—	<b>10</b>
<b>कुल योग—</b>			<b>65</b>	—	—	—	<b>65</b>	

(III) सहायक अध्यापक [कुमाऊ मण्डलान्तर्गत 10 प्रतिशत सीधी भर्ती (सामान्य शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO	Ex.Ser.	DFP	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	481/3512/418/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	05	01	—	—	—	04
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	03	—	—	—	—	03
			आ0क0व0	02	—	—	—	—	02
			सामान्य	12	03	—	—	—	09
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>22</b>	<b>04</b>	—	—	—	<b>18</b>
2	481/3012/418/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	01	—	—	—	—	01
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	08	02	—	—	—	06
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>11</b>

3.	481/4512/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	09	02	—	—	—	07
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	—	—	—	<b>13</b>
4.	481/7012/418/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	05	01	—	—	—	04
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	10	03	—	—	—	07
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>20</b>	<b>05</b>	—	—	—	<b>15</b>
5.	481/2512/418/--/2020	सहायक अध्यापक (कला)	अ0जा0	03	—	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	01	—	—	—	—	01
			सामान्य	06	01	—	—	—	05
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>11</b>
6.	481/6012/418/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ0जा0	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	02	—	—	—	—	02
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	01	—	—	—	03
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>08</b>
7.	481/6512/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	01	—	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>02</b>	—	—	—	—	<b>02</b>
<b>कुल योग—</b>			<b>95</b>	<b>17</b>	—	—	—	<b>78</b>	

(IV) सहायक अध्यापिका [कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत 10 प्रतिशत सीधी भर्ती (महिला शाखा)]

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद कोड	विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					Ex.Ser.	DFF	Orphan	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	481/3522/418/--/2020	सहायक अध्यापक (हिन्दी)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>02</b>
2.	481/3022/418/--/2020	सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	अ0जा0	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>01</b>	—	—	—	<b>01</b>
3	481/4522/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गणित)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>02</b>
4	481/7022/418/--/2020	सहायक अध्यापक (विज्ञान)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	
			<b>योग</b>	<b>02</b>	—	—	—	<b>02</b>
5	481/6022/418/--/2020	सहायक अध्यापक (व्यायाम)	अ0जा0	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	
			अ0पि0व0	—	—	—	—	
			आ0क0व0	—	—	—	—	
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	

			योग	01	—	—	—	01
6	481/6522/418/--/2020	सहायक अध्यापक (संस्कृत)	अ0जा0	—	—	—	—	—
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			योग	01	—	—	—	01
7	481/4022/418/--/2020	सहायक अध्यापक (गृह विज्ञान)	अ0जा0	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	01
			दिव्यांग	—	—	—	—	—
			योग	02	—	—	—	02
कुल योग—				11	—	—	—	11

**नोट:-**

1— महिला शाखा के अन्तर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जायेंगे।

2— आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत सामान्य, 60 प्रतिशत महिला, विभागीय 10 प्रतिशत सामान्य तथा विभागीय 10 प्रतिशत महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए अपलब्ध होगा। गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। इस संबंध में आयोग एक नई नीति भी जारी कर रहा है, जो शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

3— सीधी भर्ती(60 प्रतिशत) एवं विभागीय लिखित (10 प्रतिशत) सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मण्डलों हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।

4— प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्ड और मानकों के अनुसार मान्य होगा।

संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0 की उपाधि प्राप्त की हो, तो वह अभ्यर्थी भी संबंधित विषय विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी होगा, बशर्ते कि वह संगत नियमावली के नियम-8 में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता हो।

**(ii) वेतनमान:-** 44900—142400 (लेवल-07)

**(iii) पद का स्वरूप:-** अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) **शैक्षिक अर्हता:**— सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:—

क्र० सं०	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (सामान्य)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A. Ed) भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण हो।</p>
2	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (गणित)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc. Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।</p>
3	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc. Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों</p>



		के साथ उत्तीर्ण की हो।
	<p>(क)</p> <p>सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका</p> <p>(भाषा) हिन्दी</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इनटीग्रेटेड कोर्स (B.A. Ed) हिन्दी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p>
4	<p>(ख)</p> <p>सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (संस्कृत)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि।</p> <p><b>या</b></p> <p>(1) विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि।</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A. Ed) संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण।</p>

<p>(ग) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (उर्दू)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p>
<p>(घ) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (अंग्रेजी)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A. Ed) अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण।</p>
<p>(ड) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (बंगाली)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p>
<p>(च) सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (पंजाबी)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पंजाबी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p>
<p>5 सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कला)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग/फाइन आर्ट(पेंटिंग)/ <i>visual art</i>(पेंटिंग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।</p>

6	<p>सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (शारीरिक शिक्षा)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) (अथवा इसके समतुल्य)</p>
7	<p>सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (संगीत)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से पांच वर्षीय संगीत प्रभाकर।</p>
8	<p>सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में बी०एस०सी० (ऑनर्स) विषय के साथ स्नातक की उपाधि/गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p>
9	<p>सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (वाणिज्य)</p>	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय महाविद्यालय से चार वर्षीय (B.A. Ed) वाणिज्य विषय के साथ स्नातक की उपाधि।</p>

**नोट:-** (1) अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एल0टी0 पद पर नियुक्ति/चयन हेतु U.T.E.T.-2/C.T.E.T.-2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किन्तु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् न्यूनतम योग्ताएं निर्धारित नहीं कर देती। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-867/XXIV(1)/2017-15/2011 दिनांक 13 नवम्बर 2017 तथा शासनादेश संख्या-163 दिनांक 04 मार्च 2016 के अनुसार U.T.E.T.-2/C.T.E.T.-2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा U.T.E.T.-2/C.T.E.T.-2 परीक्षा में श्रेणीवार निम्नानुसार अंक अर्जित होने चाहिए:-

श्रेणी	महिला	भू0सै0	स्व0सं0से0	दिव्यांग	अनाथ	अन्य
अ0जा0	60	60	60	60	—	60
अ0ज0जा0	60	60	60	60	—	60
अ0पि0व0	75	75	75	75	—	75
आ0क0व0	90	75	75	75	—	90
सामान्य	90	75	75	75	90	90

(2) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

**(vi) विभागीय लिखित (10 प्रतिशत) सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता:-** विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे जिन्होंने:-

- (क) स्नातक उपाधि प्राप्त की हो,
- (ख) उपरोक्त तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबन्ध पूर्ण किये हों।
- (ग) उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो।

**(vii) लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-**

चयन के लिए लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे।

**अधिमान:-** लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

## 11- लिखित प्रतियोगी परीक्षा -

- (i) लिखित परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मण्डलों में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।
- (ii) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(iii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(v) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

(vi) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

## 12-आयु :-

आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह और कि राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा धारक हों उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की हो परन्तु यह छूट पाँच वर्ष से अनधिक होगी।

परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

**13. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,**

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

#### **14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### **15. राष्ट्रियता :-**

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**टिप्पणी:**— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

#### 16. चरित्र:—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

**टिप्पणी:**— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

#### 17. वैवाहिक प्रास्थिति:—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

#### 18. शारीरिक स्वस्थता:—

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे वित्त हस्त—पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकेगा।

#### 19. आरक्षण:—

**1. ऊर्ध्व आरक्षण—** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**2. क्षैतिज आरक्षण—** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।

(i) "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरिटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।(चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह *Open Category* की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**नोट:—** भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

**नोट:—**

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा अनाथ बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

**20. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:—**

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।



2. इस परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरा गया OTR काम नहीं आयेगा व इस परीक्षा विशेष की अर्हताओं की जटिलता को देखते हुये नया तैयार आवेदन पत्र पूरा भरा जाना अनिवार्य है। साथ ही नये सिरे से अद्यतन फोटो व हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
4. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
  - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
  - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
  - बाँये अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)
5. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
6. उम्मीदवार आवेदन *Submit* होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।
7. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
8. UKSSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:—
  - नेटबैंकिंग
  - डेबिट कार्ड
  - क्रेडिट कार्ड
  - सीएससी केंद्र

#### 21. शुल्क:—

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (*Net Banking/Debit/Credit Card*) के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

#### अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 300 /— मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150 /— मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 150 /— मात्र
04	उत्तराखण्ड दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150 /— मात्र

**नोट:—** निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

## 22. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) आवेदन पत्र तथा निर्धारित विषय सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो *Edit* विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद *Final Submit* बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत भरा जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा “*MY REQUEST*” *Button* को *Click* कर संशोधन हेतु *request* भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से *Approve* किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की *details* स्वयं *update* हो जायेंगी।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **04.12.2020** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “*ONLINE APPLICATION*” प्रक्रिया में “*Submit*” बटन को “*Click*” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।

अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में आयोग द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(13) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(14) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा

(16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो उसे अभ्यर्थी का परिणाम रोका जा सकेगा।

(19) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए

प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(23) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंको से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(24) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

आ0क0व0— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

W0- महिला अभ्यर्थी

DFE- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

Ex- भूतपूर्व सैनिक

PH- दिव्यांग

Orphan- अनाथ

(26) इस विज्ञापित द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

(27) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन (*Computer based test*) परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।

  
(संतोष बडोनी)  
सचिव